

(स) सम्प्रेषण के बाद से सेवायोजन से साक्षात्कार नहीं करेंगे।

(द) चुनाव हो जाने पर नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकृत करेंगे।

8-कृपया उपलब्ध रिक्तियों की सूचना तथा अधिसूचित रिक्तियों के चुनाव के मापदण्ड को जानने हेतु सेवायोजन कार्यालय के सूचना-पट का अवलोकन करें। इस विषय में अतिरिक्त सूचना के लिए सेवायोजन अधिकारी से मिलने में संकोच न करें।

9-आपके हित में यह सुझाव दिया जाता है कि सेवायोजन कार्यालय के व्यवसाय मार्ग-निर्देशन अधिकारी से अवश्य मिलें जो शीघ्र रोजगार मिलने की सम्भावना पर आपको परामर्श देंगे।

10-कृपया सेवायोजन कार्यालय के व्यवसाय सूचना कक्ष का भी लाभ उठाएं जहां विभिन्न प्रकार की रोजगार सम्बन्धी सूचना तथा प्रशिक्षण संस्था में प्रवेश हेतु नियमावली उपलब्ध होती है। इससे आपको उचित व्यवसाय के चुनाव में सहायता भी मिलेगी।

11-यदि आपने नौकरी मिल जाने पर नियुक्ति-पत्र में निर्धारित अवधि के अन्दर त्याग-पत्र नहीं दिया है तो आपकी पंजीयन में प्राथमिकता बनी रहेगी। यह लाभ भी आपको तभी मिलेगा जब नौकरी समाप्त होने के 30 दिन के अन्दर नौकरी समाप्ति के आदेश-पत्र के साथ उसी व्यवसाय में पुनः पंजीयन हेतु सेवायोजन कार्यालय में उपस्थित होंगे।

12-किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर सेवायोजन अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करें जो आपकी ही सेवा के लिए तत्पर है।

सेवायोजन कार्यालय नि:शुल्क तथा निष्पक्ष सेवा करते हैं।

पीएसओ/2 (आरई0) 2 सेवायोजन/146-9-8-2011-5,00,00 (कम्प्यूटर/ऑफ़िस)।

एक्स-10

उत्तराखण्ड सरकार

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड श्रम विभाग
वर्ग-अनु0 जा0/अनु0 जन-जाति/पि0 जा0/भू0 सै0/विक0/प्राध0
सेवायोजन कार्यालय

अभिज्ञान-पत्र

(यह नियोजक के साक्षात्कार करने के लिये परिचय-पत्र नहीं है)

1-नाम कुं. रश्मी कर्मा
2-जन्म तिथि 02-9-80
3-पंजीयन तिथि 19-3-14
4-पंजीयन संख्या ज० 1056/14
5-शैक्षिक योग्यता एफ. स्कोल
6-व्यवसायिक संकेत संख्या X00155
7-व्यवसाय का नाम खा. रि.
8-मुख्य पहिचान चिन्ह Radhha

प्रार्थी के हस्ताक्षर

अधिकारी के हस्ताक्षर

अगले नवीनीकरण का वर्ष

नवीनीकरण योजना क्रमांक

सम्प्रेषण की तिथि

तथा माह

हस्ताक्षर

तिथि

मा. 2017

3/2020

3/3/17